

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांक:-व-15(2)आरपीए/जन/विविध/2024-25/2895

दिनांक:-07/06/24

-:खुली बोली आमंत्रित सूचना:-

अकादमी परिसर में पुलिस स्थापना दिवस समारोह दिनांक 12.06.2024 को अल्पाहार क्रय करने के लिए उपापन हेतु की जानी है, जिसके लिए मोहरबन्द दिनांक 10.06.2024 को प्रात 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है निविदा सूचना www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है-

क्र. सं.	आईटम	अनुमानित राशि (लाख)	निविदा फार्म मूल्य	अमानत राशि रु.	निविदा खोलने की तिथि
1.	अल्पाहार क्रय संलग्न:- सूची के अनुसार परिष्-ए	2.75 लाख	200.00 रु	अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत	10.06.2024 प्रात 11.15 बजे
2.	अल्पाहार क्रय संलग्न:- सूची के अनुसार परिष्-बी	1.14 लाख	200.00 रु.	अनुमानित की 2 प्रतिशत राशि	10.06.2024 प्रात 11.15 बजे

निविदा शर्त:-

- निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा) से निर्धारित शुल्क (बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। या spp पोर्टल से डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जा सकता जिसके लिए निविदा फार्म का निर्धारित शुल्क 200 का डी.डी./बैंक चैकर्स निविदा के साथ लगाना होगा, इसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी। इच्छुक निविदाता क्र. सं. 1 एवं 2 के लिए एक साथ आवेदन कर सकता है, या दोनो आईटम में से एक के लिए भी आवेदन कर सकता है जिसके लिए निर्धारित निविदा शुल्क और बीड प्रतिभूति जमा करानी होगी इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 10.06.2024 प्रात 11.00 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में आरपीए, जयपुर लेखाधिकारी कक्ष में स्थित टेण्डर बॉक्स में डाली जा सकती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 10.06.2024 को 11.15 ए.एम. पर उपापन समिति निविदा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
- निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, अद्यतन बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
- जो निविदाएं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा में जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
- क्रय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- निविदादाता निविदत वस्तु के लिए विनिर्माताओं, प्राधिकृत व्यवहार्य या सदभावी व्यवहारी होना चाहिए। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- सफल निविदादाता को नियमानुसार प्रतिभूति जमा करानी होगी।

(अवनीश कुमार शर्मा,
सहायक निदेशक(प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।
- लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
- प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि sppp पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर सीमित निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावे।
- प्रभारी आर.पी.ए. जयपुर।
- नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांक:-व-15(2)आरपीए/जन/विविध/2024-25/

दिनांक:-

निविदा प्रारूप

वित्तीय बिड (देखिए नियम 68)

1. अकादमी परिसर में दिनांक 12.06.2024 को पुलिस स्थापना दिवस समारोह के आयोजन हेतु अल्पाहार क्रय के लिए सीमित निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता, ई-मेल एवं मोबाईल नं०

बोलीदाता का :- पै नं.

जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं.

3. किसको सम्बोधित की गयी-निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. सन्दर्भ :-
5. निविदा शुल्क की राशि रु 200/- बैंकर चैक/बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट सं. दिनांक के द्वारा जमा करा दी गई है।
6. निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांकमें वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों के हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों में बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. कार्य का विवरण एवं स्पेशिफिकेशन परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।
8. निविदाएं मोहरबन्द लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी।
9. कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
10. निविदा शुल्क राशि रूपये 200/- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा जमा करवाया जायेगा,, इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. इसके साथ जी.एस.टी./एवं अद्यतन विक्रीकर शोधन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
12. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।
13. निविदा शर्तों मेरे द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर


7/6/24





परिशिष्ट-ए

क्र.सं.	विवरण	तदाद्	दर (जी.एस.टी. सहित) मय मजदूरी		
1.	समोसा मय चटनी	2500 पैकेट			
2.	बिस्कूट बैकरी मिठठा	2500 पैकेट			
3.	बिस्कूट बैकरी नमकीन	2500 पैकेट			
4.	मिठाई (मिल्क केक)	2500 पैकेट			
5.	वेपर्स	2500 पैकेट			
6.	फ्रुटी	2500 पैकेट			

निविदादाता के हस्ताक्षर


 7.6.24


 7/6/24





क्र.सं.	विवरण	तदाद्	दर (जी.एस.टी. सहित) मय मजदूरी		
1.	कुकीज	175			
2.	वेजिटेबल सेण्ड विच	175			
3.	समोसा	175			
4.	ढोकला	175			
5.	वेपर्स	35 कि.ग्रा.			
6.	रसगुल्ला / राज भोग	35 कि.ग्रा			
7.	मिक्स फ्रुट ज्यूस				
8.	फ्रुट (पपीता, केला, सेव, तरबूज, खरबुजा)				
9.	काँफी, चाय	175			
10.	पानी मय केटरिंग	175			

निविदादाता के हस्ताक्षर


 7.6.24


 7/6/24





1. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षों में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। (राशि रूपये 100/- के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
2. बोलीदाता के पास गत 3 वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-22 व 2022-23 में राशि रूपयें 3.00 लाख का औसत टर्नओवर होना चाहिए। (गत तीन वित्तीय वर्ष 2020-2021, 2021-22 व 2022-23 के सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षित अन्तिम लेखों यथा व्यापार खाता/लाभ-हानि खाता/बैलेन्स सीट संलग्न करें अथवा सनदी लेखाकार द्वारा जारी टर्नओवर का प्रमाण-पत्र संलग्न करें एवं सी.ए. के द्वारा जारी किये गये रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित हो।)
3. बोली दाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।(पैन कार्ड की स्व-सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें।)
4. फर्म का जी.एस.टी में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। (GST रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करें।)
5. बोली के साथ संलग्न संलग्नक A, B एवं D (बोली के साथ संलग्न A, B एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे।)
6. बोलीदाता को प्रदाय की जाने वाली सामग्री का प्राधिकृत विक्रेता होना आवश्यक है। प्राधिकृत डीलर होने का स्व हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र अपेक्षित है।
7. बोलीदाता को उक्त कार्य का वित्त वर्षों(2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) का कार्यानुभव होना आवश्यक है।


7.6.24

7/6/24





A. बोलीदाता को निर्देश :-

1. बोलियाँ ऑफलाइन माध्यम से एकल पद्धति से प्राप्त की जावेगी।
2. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./बैंकस चैक/FDR /बैंक गारन्टी(जो निदेशक, RPA, के नाम से है।) के माध्यम से जमा करना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
4. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
5. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के पन्द्रह दिवस के भीतर नियमानुसार राशि के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा।
6. बोलीदाता को इस बोली प्रपत्र के साथ संलग्नक A, B एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
7. सफल बोलीदाता द्वारा कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के अनुसार बोली स्वीकार किये जाने की तिथि से 1 दिवस के भीतर अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारन्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो) से जमा करानी होगी। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
8. संविदा अवधि में सफल बोलीदाता एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
9. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकेगें।
10. अनुबन्ध अवधि के दौरान सामग्री की दरें स्थिर रहेगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 का नियम 29 (2-ज) प्रभावी होगा।


7.6.24


7/6/24






B. कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्तें :-

1. दरें, अंको एवं शब्दों में अंकित की जानी चाहिए। दरें प्रति इकाई रूपयें में अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।
2. आदेशित माल/सेवा की आपूर्ति कार्यादेश जारी तिथि से 02 दिवस में नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी संवेदक से वसूलनीय होगी।
3. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि सामग्री/सेवा आपूर्ति नहीं की जाती है, कम मात्रा में आपूर्ति की जाती है अथवा घटिया गुणवत्ता की सामग्री/सेवा की आपूर्ति की जाती है तो संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर खुले बाजार से क्रय/कार्य कर लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से कर ली जावेगी।
4. अपूर्ण/असंतोषजनक/घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति करने अथवा आपूर्ति नहीं/विलम्ब से किए जाने पर अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है।
5. बोली खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/ कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता/संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
6. अनुबन्धकर्ता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सामग्री को सही स्थिति में अकादमी तक पहुँचाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। परिवहन में हुये किसी प्रकार की क्षति की जिम्मेवारी अनुबन्धकर्ता की ही होगी।


7.6.24


7/6/24





A. मूल्यांक कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :-

1. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
2. न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नहीं होगी।
3. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावे, अकादमी स्वविवेक से एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है। समान सामग्री/कार्य के लिए एक से अधिक बोलीदाताओं से भी समान दरों पर अनुबन्ध किया जा सकता है।
4. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा मे यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति बोलीदाता द्वारा दरों की औचित्यता के आधार पर न्यूनतम से अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।


7/6/24



7/6/27





B. अन्य शर्तें/अनुदेश :-

1. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 2 घण्टे का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा-खर्चा नहीं दिया जायेगा।
2. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
3. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)
4. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
5. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम-2013 की धारा-38 के तहत कोई भी बोलीदाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी **उप महानिरीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक आरपीए, जयपुर** के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक, आरपीए जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। (अनुलग्नक-'स') प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः राशि रूपये 2500/- एवं राशि रूपये 10000/- निर्धारित है, जो अपीलकर्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।
6. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
7. कार्य सम्पादन के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य हेतु उपलब्ध कराए गए किसी श्रमिक को कोई शारीरिक अथवा मानसिक हानि होती है, जो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। अकादमी की किसी परिसम्पत्ति की हानि उक्त कार्य के कारण होती है तो उक्त नुकसान/हानि की वसूली अनुबन्धकर्ता से की जा सकेगी।
8. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने


7.6.24


16/12/24





वाले दिशा-निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगे।

9. निविदादाता को फूड विभाग से आवश्यक लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता:-

गोदाम का पता:-

मोबाइल/दूरभाष:-


7.6.24


7/6/24






निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने /हमने जिन मालों/सामानों /उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरण/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपद्धत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मुहर

 7.6.24
 7/6/24

